न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

करण संख्या – 44 / 2020

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1958

उनवान

1–2 गोपाल, जगदीश पुत्र मोहन खाती निवासी मुण्डेता
3–4 देबी, रामेश्वर पिता भुरा खाती निवासी मुण्डेता
5– लादी पुत्री हजारी खाती निवासी मुण्डेता
6–7 शान्ता, सीता पुत्रियां मोहन खाती निवासी मुण्डेता

– प्रार्थीगण

बनाम

1– लादु पिता कन्हैयालाल शर्मा निवासी मुण्डेता
2– सायरी पत्नी कन्हैयालाल शर्मा निवासी मुण्डेता
3– मांगु पिता मोहन शर्मा निवासी मुण्डेता
4–6 बद्री, सोनु, गोपी पुत्र नारू गुर्जर निवासी मुण्डेता
7–9 लादु, जमना, उदा पिता देवकरण शर्मा निवासी मुण्डेता

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– **श्री अक्षयराज रेबारी**
अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 28 / 10 / 2020

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – प्रार्थीगण के ग्राम **मुण्डेता** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 1513 रकबा 0.13 है0, 1514 रकबा 0.25 है0, 1515 रकबा 0.24 है0** कुल **किता 3** रकबा **0.62 है0** हैक्टेयर का प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार काश्तकार** है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाइ जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम मुण्डेता** संवत 2075 से **2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् के प्रार्थीगण **संयुक्त खातेदार** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **मुण्डेता** में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/ संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् **किता 3 रकबा 0.62 है0 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी <u>ऑफ सीजन में</u> किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस **150 /–** रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28 / 10 / 2020 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(शिल्पा सिंह IAS)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा